

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिघोषणा :—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा संख्या --84-----/भू अ०

दिनांक--29/11/18


चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- जसीडीह-बैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच लेवल कॉसिंग 04/E -(सतसंग नगर) के स्थान पर पथ उपरी पुल (ROB) निर्माण परियोजना हेतु, ग्राम-कल्याणपुर, थाना-देवघर, थाना संख्या-398 अंचल-देवघर, जिला-देवघर के कुल-13315 वर्गफीट भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 13315 वर्गफीट है और जो ग्राम-कल्याणपुर, थाना-देवघर, थाना संख्या-398, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०/ TPP No.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5/1	111,112/ 1456 अंश	बसौड़ी	मकान में सहन	1710	स्वपना कुमार सिन्हा पे० सुशील कुमार सिन्हा।	मौजा-मधुसुदन छोरार मौजा नं०-256	मौजा-मुकल्याणपुर र अंश	अंश रकवा	सतसंग भिरखी बाद रोड
2	5/3	93/1456 अंश	बसौड़ी	मकान में सहन	410	शकुन्तला देवी पति राजेन्द्र वर्णवाल।				
3	5/ क	93/1456 अंश	बसौड़ी	मकान में सहन	300	श्रीमति यशोदा गुप्ता पति सहदेव गुप्ता।				
4	5/2	93/1456 अंश	बसौड़ी	मकान में सहन	360	श्रीमति मंजू देवी पति दशरथ साह।				
5	5	93/1456 अंश	बसौड़ी	मकान में सहन	360	श्रीमति सरोज देवी पति शिवनन्दन लाल।				
6	5/4	93/1456 अंश	बसौड़ी	मकान में सहन	330	श्रीमति माधुरी देवी केसरी पति मुरलीधर केसरी।				
7	5	93/1456 अंश	बसौड़ी	मकान में सहन	320	श्रीमति लीला देवी पति स्व० जमुना प्र० वर्णवाल।				
8	5	93/1456 अंश	बसौड़ी	मकान में सहन	446.25	राजेन्द्र मोदी पे० स्व० कार्तिक वर्णवाल वो सहदेव वर्णवाल।				
9	5/13	93/1456 अंश	बसौड़ी	मकान में सहन	3660	रामरती देवी पति स्व० योगेन्द्र प्र० सिंह।				
10	8/288 1	93/1456 अंश	बसौड़ी	मकान में सहन	5100	B.D.T.A. Bishop, भागलपुर बिहार सेकट्री भागलपुर डिविजन रिप्रेजेन्टटीव चर्च मिशन।				
11	5	93/1456 अंश	बसौड़ी	मकान में सहन	318.75	मनोज सिंह				
कुल रकवा (वर्गफीट में)-					13315					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम स०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्रामX थानाX थाना संख्याX अंचलX जिला भूमि
अंर्जन पदाधिकारीX के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया
जा सकता है।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक ..80...../ भू अ०, देवघर, दिनांक ...29/11/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला अवर निबंधक, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक
स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में
प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के
वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।